

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण : निरंक

- अधिकारी /कर्मचारी का पूरा नाम : गोपाल छुगानी
- वर्तमान धारित पद : अति. कार्यालय सहायक श्रेणी-3
- कार्यालय का पूरा नाम : परीक्षण एवं संचार वृत्त, म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि., गीबिन्दपुरा, भोपाल
- वर्तमान वेतन : 21,950+ जी.पी.
- भविष्य निधि क्रमांक : 23324709
- वर्तमान पता : सी-18, नर्मदा इन्कलेव, अयोध्या बायपास, भोपाल
- कर्मचारी संख्या : 89321458

क्र.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी के साथ क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया- खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	पंजाबी बाग, रायसेन रोड, गीबिन्दपुरा, भोपाल	एक फ्लैट क्र. सी-7/1, पंजाबी बाग, रायसेन रोड, भोपाल	निरंक	19 लाख	स्वयं के नाम से	मेसर्स अमृत एंड कंपनी, गीबिन्दपुरा, भोपाल से जारिये हाउसिंग फायनेंस के वर्ष 1997 में क्रय 2,70,000/- में क्रय किया गया।	निरंक	उक्त फ्लैट को रु. 19 लाख में विक्रय कर केता के पक्ष में करवाया गया।
2-	अयोध्या बायपास, भोपाल	एक डुप्लेक्स भवन क्र. सी-18 नर्मदा इन्कलेव, अयोध्या बायपास, भोपाल	निरंक	25,00,000/-	स्वयं के नाम से	मेसर्स मेसर्स शिवचेतन कॉन्स्ट्रक्शन, भोपाल से एसबीआई से रु. 17,62,000/- हाउसिंग लोन प्राप्त कर कुल रुपये 20,50,000/- में क्रय किया गया, जिसका आधिपत्य जनवरी 2012 में प्राप्त हुआ।	निरंक	-

हस्ताक्षर : .....  
 नाम : गोपाल छुगानी  
 पद : अति.कार्यालय सहा.श्रेणी-2  
 कार्यालय : अधीक्षण यंत्री(परीक्षण एवं संचार),म.प्र.पा.ट्रा.कं.,भोपाल

जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

इसमें उल्लेखित पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :-

मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।